न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 281–दो/2007 विरूध्द आदेश दिनांक 29–12–06 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर अपील प्रकरण कमांक 420/अ–70/02–03.

1– धनीराम पुत्र राधेलाल चौरसिया
2– शिवराम पुत्र राधेलाल चौरसिया
दोनों निवासी ग्राम सहजपुर, तह0 कैसली,
जिला सागर, म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूध्द

1– सन्तोष पुत्र स्व. चोखेलाल चौरसिया
2– दिनेश पुत्र स्व. चोखेलाल चौरसिया
3– प्रेमरानी पत्नि स्व. चोखेलाल चौरसिया
4– रामकिशन पुत्र स्व. चोखेलाल चौरसिया
5– राजकुमार पुत्र स्व. चोखेलाल चौरसिया
6– मुकेश पुत्र स्व. चोखेलाल चौरसिया
सभी निवासी ग्राम सहजपुर, तह0 कैसली,
जिला सागर, म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 26.5. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर

आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 420/अ–70/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–12–06 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण ने संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया कि ग्राम नादिया की भूमि खसरा नं0 12/2 रकबा 1.97 एवं खसरा नं0 12/3 रकबा 1.97 कुल किता 2 कुल रकबा 3.94 हे. पर उनका नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि का रा0प्र0 क0 10/अ–12/97–98 व्दारा सीमांकन कराने पर चौखेलाल आदि का अनाधिकृत कब्जा पाया गया। आवेदकगण को बेजा कब्जे की जानकारी सीमांकन दिनांक को हुई। अतः उन्होंने कब्जा वापिसी का अनुरोध किया। तहसीलदार ने आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपने आदेश दिनांक 05–02–02 में यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदकगण को बेजा कब्जा होने की जानकारी सीमांकन कराने पर दिनांक 15–11–97 को पता चली तथा आवेदकगण व्दारा दिनांक 18–12–97 को बेजा कब्जा हटाने का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है जो निर्धारित समयावधि 2 वर्ष के अन्दर है। प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का बेजा कब्जा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित होने से तहसीलदार ने बेजा कब्जा हटाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 12–06–02 व्दारा खारिज की। व्दितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 29–12–06 व्दारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि

आवेदकगण व्दारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का सीमांकन कराने पर बेजा कब्जे की जानकारी हुई, जानकारी के दिनांक से समयावधि में धारा 250 का आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का बेजा कब्जा होने से कब्जा हटाने के आदेश विचारण तहसील न्यायालय ने दिये जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय व्दारा यथावत रखा गया। व्दितीय अपील में अपर आयुक्त ने साक्ष्य पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप कर अपील स्वीकार की गयी है। व्दितीय अपील में समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। उनका यह भी तर्क है कि अपर आयुक्त के समक्ष अपील समयावधि बाह्य थी, किन्तु समयावधि के बिन्दू पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना अपील स्वीकार की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में मुख्य मुद्दा यह प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में पुरानी कागजात में अनावेदक के पिता के आजा हरचंद बढई का कब्जा अंकित था। गौरीशंकर बढई जो आवेदक/निगरानीकर्त्तागण के पूर्वज हैं, ने दिनांक 10–5–99 को अपनी जमीन कुटुम्बी बड़े भाई अर्थात अनावेदकगण के दादा हचंद बल्द भागचंद को दे दी थी। तत्संबंध में गौरीशंकर ने बेचनामा रसीदी टिकिट लगाकर अनावेदकगण के दादा हरचंद के पक्ष में गबाह भैयालाल सौनी एवं हरिराम बढ़ई व चुन्नीलाल मालवीय के सामने लिखकर दिया था। इस प्रकार सन 1953 से अनावेदकगण के दादा उनके पिता चोखेलाल तथा अनावेदकगण का कब्जा प्रश्नाधीन भूमि पर बिना रोकटोक भूमिस्वामी की हैसियत से चला आ रहा है। उनका यह भी तर्क है कि इसी जमीन के संबंध में औकार एवं विनोद ने भी तहसीलदार के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था और दोनों आदेशों के विरूध्द अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 2 अपीलें प्रस्तुत की गयी।

अनुविभागीय अधिकारी व्दारा एक अपील स्वीकार की गयी और दूसरी अस्वीकृत की गयी, जबकि दोनों प्रकरणों में तथ्य एक–समान थे। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12–06–02 की जानकारी अनावेदकगण को नहीं दी गयी। अधिवक्ता व्दारा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि देने पर उसके दूसरे दि नही अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अनावेदकगण के अभिमाषक का तर्क है कि आवेदकगण को किस प्रकार और कब बेदखल किया गया, यह साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है, जबकि संहिता की धारा 250 के आवेदनपत्र में यह साक्ष्य से सिध्द करने का भार आवेदकगण पर था। ओंकारप्रसाद ने अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि मेरी जमीन नादिया मौजा में है, कितनी है मुझे मालूम नहीं है। भूमि परिवारिक बटवारे में प्राप्त होना बताया है, किन्तु पारिवारिक बटवारा पेश नहीं किया गया और ना ही पारिवारिक बटवारे का कोई गबाह पेश किया गया। अनावेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा 40–50 साल से है जिसकी पुष्टि खसरा पंचसाला सन 1953–54 के कॉलम नं. 14 में अंकित कब्जा 'हरिशचन्द्र बरई' से होती है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ तहसीलदार के आदेश दिनांक 05–02–02 से अवलोकन से विदित होता है कि तहसीलदार ने अपने आदेश में निम्न वाद बिन्दू निर्धारित किये–

1– क्या आवेदकगण आवेदित भूमियों के भूमिस्वामी हैं ?

2– क्या आवेदित भूमि का स्पष्ट वर्णन है ?

3– आवेदक को अनावेदकगण ने किस दिन एवं किस प्रकार बेदखल किया?

4– क्या आवेदित भूमियों का सीमांकन विधिवत किया गया है ?

5– क्या आवेदक को राहत दी जा सकती है ?

उक्त सभी बिन्दूओं पर तहसीलदार व्दारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन करते हुए निष्कर्ष निकाले गये हैं। तहसीलदार ने अपने आदेश में साक्ष्य की विवेचना के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि बेंचनामा अपंजीकृत

है एवं इसे तैयार करने वाले एवं इस पर हस्ताक्षर करने वालों ने साक्ष्य से इसे प्रमाणित नहीं किया गया है। राजस्व निरीक्षक ने 40–50 वर्ष के अनावेदक के कब्जे की बात अनावेदक के कहने से लिखी, यह उन्होंने स्वीकार किया है। आवेदक ने एवं मौखिक साक्ष्य में यह बतलाया गया है कि उसकी भूमि पर अनावेदक ने उसे बखर चलाने से रोका एवं सीमांकन कराये जाने पर पाया कि अनावेदक ने इस भूमि पर मसूर फसल बोकर बेजा कब्जा किया है। तहसीलदार ने बेजा कब्जा की जानकारी सीमांकन दिनांक 15–11–97 को होना मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर मान्य किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने भी साक्ष्य की विवेचना के पश्चात अपने आदेश दिनांक 12–6–02 में यह निष्कर्ष निकाला है कि स्व. गौरीशंकर व्दारा पारिवारिक व्यवस्थापत्र के आधार पर 1985–86 में प्रतिअपीलार्थीगण/आवेदकगण के नाम से प्रश्नाधीन भूमि दर्ज की गयी जिसके विरूध्द अपीलार्थीगण/अनावेदकगण ने कोई अपील आदि नहीं की और तभी से जमीन प्रतिअपीलार्थीगण/आवेदकगण के नाम से दर्ज चली आ रही है। अनुविभागीय अधिकारी ने सीमांकन के दिनांक से आवेदनपत्र समयावधि में होना माना है। इससे स्पष्ट है कि विचारण तहसील न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने तथ्य के संबंध में समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये। मान. उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में यह व्यवस्था दी है कि –

"व्दितीय अपील में साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित अधीनस्थ दोनों राजस्व न्यायालयों के मामले में समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये वे निष्कर्ष व्दितीय अपीली कोर्ट पर बाध्यकर हैं। " (1987 रा.नि. 315, 1987 रा.नि. 216, 1987 रा.नि. 167, 1987 रा.नि. 162, 1990 रा.नि. 114 तथा 1992 रा.नि. 323). व्दितीय अपीलीय न्यायालय व्दारा समवर्ती निष्कर्ष में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है, जब अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा निकाले गये निष्कर्ष विकृत या दूषित हों। विव्दान अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 29–12–06 में

विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गयी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का कोई विवेचना नही किया गया है और ना ही यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के तथ्य संबंधी निष्कर्ष किस प्रकार दूषित या अभिलेख के विपरीत हैं। आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी होना मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से सिध्द किया गया है तथा आवेदकगण को बखर चलाने से रोकने पर उनके व्दारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का सीमांकन कराया जाना व सीमांकन से उन्हें बेजा कब्जे की जानकारी होना साक्ष्य से सिध्द किया गया है। ऐसी दशा में तहसीलदार व्दारा अवैध कब्जा हटाने के आदेश देने में त्रुटि नहीं की गयी जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी व्दारा भी स्थिर रखा गया है। अनावेदकगण को तथाकथित बेची टीप व कब्जे के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त हैं तो उन्हें इसका निराकरण सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर करना चाहिये, इस आधार पर आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर अवैध कब्जे को यथावत नहीं रखा जा सकता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 29–12–06 निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 12–6–02 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 05–02–02 यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0